



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062025-264238
CG-DL-E-30062025-264238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2025/आषाढ़ 9, 1947

No. 392]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2025/ASHADHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2025

सं. 32/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 435(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1008(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 130/2010-सीमाशुल्क, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
“48.	कनाडा	एयर कनाडा”.

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 190354/87/2022-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 130/2010-सीमाशुल्क, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1008 (अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 670(अ), दिनांक 31 अगस्त, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 45/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2025

No. 32/2025-Customs

G.S.R. 435(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 130/2010-Customs, dated the 23rd December, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1008(E), dated the 23rd December, 2010, namely :-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 47 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“48.	Canada	Air Canada”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2025.

[F. No. 190354/87/2022-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 130/2010-Customs, dated the 23rd December, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 1008(E), dated the 23rd December, 2010 and was last amended *vide* notification No. 45/2022-Customs, dated the 31st August, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 31st August, 2022.